COURT FEE 20 रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE 10 रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(19)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

मदनलाल पिता नारायण चौहान जाति बलाई
निवासी ग्राम बक्साना व जयप्रकाश मार्ग
धार जिला धार म0प्र0 ———निगरानीकर्ता

PBR/निगरानी/धार/भू.रा./2017/2654

ब ना म

1. भागवन्ताबाई पति रमेश चौहान जाति बलाई
2. बनेसिंह पिता रमेश चौहान जाति बलाई
3. बिरमल पिता रमेश चौहान जाति बलाई
4. ज्योति पिता रमेश चौहान जाति बलाई
5. पपीता पिता रमेश चौहान जाति बलाई
6. संजुबाई पिता रमेश चौहान जाति बलाई
7. अनिताबाई पति ईश्वर चौहान जाति बलाई
8. आकाश पिता ईश्वर चौहान जति बलाई
9. मनीषाबाई पिता ईश्वर चौहान जति बलाई
   कमांक 8 व 9 ना0पा0 माता अनिताबाई पति ईश्वर चौहान
   सभी निवासी ग्राम निजामपुरा तहसील व जिला धार म0प्र0
10. रामकन्याबाई पति गंगाराम पिता नारायण
    निवासी ग्राम सरसाना तह0 बडनगर जिला उज्जैन
11. रामप्यारीबाई पति रमेश पिता नारायण
    निवासी ग्राम निजामपुरा तहसील व जिला धार
12. प्रेमबाई पति मांगीलाल पिता नारायण
    निवासी ग्राम करोंदिया तह0 व जिला धार म0प्र0

———विपक्षीगण

श्री चतुर्वेदी अभि. ... 14.8.17 को ... प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 14.8.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Chaturvedi 14/8/17

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 मुजब

माननीय न्यायालय,

सेवा निगरानीकर्ता की और से अत्यन्त विनम्रता से निवेदन है कि :—

।। प्रकरण के तथ्य।।

1. यह कि ग्राम बक्साना तहसील व जिला धार की भूमि सर्वे कमांक 24 रकबा 1.803 हे0 लगान 17.30 पैसे की स्थित होकर उक्त भूमि निगरानीकर्ता मदनलाल की माता स्व0 सजनबाई पति नारायण के नाम की होकर स्वअर्जित भूमि हैं। निगरानीकर्ता मदनलाल व विपक्षीगण एक ही परिवार के होकर मदनलालजी के भाई के वारीस व बहने है।

2. यह कि निगरानीकर्ता मदनलाल स्व0 सजनबाई का जाईन्दा पुत्र होकर सजनबाई के जीतेजी व उनके अंतिम समय में अपनी माता सजनबाई की सेवा चाकरी सांलसंभाल दवाई आदि की व्यवस्था अपने पुरे तन—मन—धन से परिवार सहित करता रहा सजनबाई की भूमियों की देखरेख करता रहा जिससे प्रसन्न होकर स्व. सजनबाई ने

मदनलाल चौहान

ग्वालियर म0प्र0

उनकी स्वअर्जित भूमि का वसीयतनामा निगरानीकर्ता मदनलाल के हित में दिंनाक 28/05/2014 को गवाहो के समक्ष अपना अंगूठा निशानी कर गवाहो की गवाही करा कर नोटरी महोदय के समक्ष कथन देकर निष्पादित कर दिया और अपनी मृत्यु पश्चात अपनी भूमि का मालिक स्वामी मदनलाल को घोषित कर दिया। सजनबाई की मृत्यु दिंनाक 18/01/2015 को हो चुकी है। सजनबाई का नुक्ताघाटा अंतिम कियाकम आदि मदनलाल ने किया है। स्व0 सजनबाई की मृत्यु पश्चात उक्त वसीयतनामें के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील व जिला धार के न्यायालय में विधिवत नामातंरण हेतु आवेदन पत्र धारा 109, 110 म0प्र0भू0रा0सं0 अनुसार पेश किया उक्त प्रकरण में विपक्षीगण को विधिवत सूचना होकर विपक्षीगण उक्त प्रकरण मे उपस्थित रहे है। जो राजस्व प्रकरण कमांक 50/अ–6/ 2014–15 पर दर्ज होकर उक्त प्रकरण में आज्ञा दिनांक 30/04/2016 द्वारा निगरानीकर्ता का नामातंरण स्वीकार कर राजस्व प्रपत्र में स्व0 सजनबाई के स्थान पर निगरानीकर्ता का नाम दर्ज करने बाबद आदेश प्रदान हुआ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निग/धार/भू.रा./17/2654 **जिला धार**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.9.2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17–7–2017 का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदक का व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत वाद 31–ए/2016 तहसील न्यायालय के आदेश के पूर्व प्रस्तुत वाद है इसलिये यह वाद अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को प्रश्नगत नहीं करता है । इसके अतिरिक्त वाद में निहित बिन्दु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील के बिन्दु से पृथक है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनिमितता परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन से अग्राह्य की जाती है। **अध्यक्ष**	